पत्रांक सं० 383 दिनांक / Date 29/06/2017

एक से अधिक विज्ञापनों/पदों को एकत्रित (club) कर एक परीक्षा कराये जाने के संबध में अभ्यर्थियों व अन्य सभी पक्षों से सुझाव लेने हेतु प्रस्ताव।

वर्ष 2015 से 13 अक्टूबर 2016 तक उत्तराखण्ड़ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के कुल 9 विज्ञापन निर्गत किये गये । इन विज्ञापनों के माध्यम से लगभग 94 प्रकार के पदों के लिए भर्ती के विज्ञापन प्रकाशित किये गये।

वर्तमान में आयोग द्वारा इन विज्ञापित पदों की लिखित परीक्षायें समयबद्व आधार पर कराने का निर्णय लिया गया हैं। यदि इतने प्रकार के पदों की परीक्षा समय पर संपन्न की जानी है तो विभिन्न विज्ञापनों में समान आयु शैक्षिक अर्हता व दक्षता के पदों की एक परीक्षा कराया जाना अपरिहार्य है। अन्यथा आयोग द्वारा पूर्व में जारी किये गये विज्ञापनों/पदों के लिए ही परीक्षा आयोजन में 3 से 5 वर्ष का समय लगेगा।

इससे नई भर्तियों के विज्ञापन एवं परीक्षायें भी प्रभावित होंगी तथा इनमें भी काफी विलंब होना स्वाभाविक है। अतः समय पर भर्ती परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए समान प्रकृति के पदों के लिए एक परीक्षा की प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। आयोग द्वारा पूर्व में विज्ञापित विभिन्न पदों/विज्ञापनों को एकत्रित कर परीक्षा कराये जाने के संबंध में निम्न मुख्य बातें सभी अभ्यर्थियों की जानकारी/सुझाव के लिए दी जा रही हैः––

(1)– एक से अधिक पदों के लिए एक ही परीक्षा कराने की शक्ति, आयोग को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रक्रिया और संचालन विनियम, 2015 के प्रस्तर 4(6) में प्राप्त है। यह व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

प्रस्तर 4(6)– आयोग एक से अधिक पद जिनके लिये आयु, शैक्षिणिक योग्यता, दक्षता इत्यादि समान हैं, भर्ती प्रक्रिया के लिए एक ही परीक्षा आयोजित कर सकता है, परन्तु इस विषय में शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर संयुक्त परीक्षा आयोजित कर सकता है और इस विषय में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(2)– इस व्यवस्था के अनुरूप मानचित्रकार के पद पर भर्ती हेतु निर्गत विज्ञापनों, विज्ञापन सं0– 3, 4, 5 व 6 में सम्मिलित पद् मानचित्रकार तथा ड्राफ्टमैन के लिए आयोग द्वारा प्रथम बार शासन की पूर्वानुमति से एक ही परीक्षा दिनांक 25 जून, 2017 को सफलता पूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं।

(3)–एसी सम्मिलित परीक्षा में प्रवेश पत्र में जिन–जिन पदों (पद कोड) के लिए आवेदन किया है उन सभी का उल्लेख प्रवेश पत्र में आयेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में उसके द्वारा भरे गये सभी पद कोडो का उल्लेख न हो तो तत्काल आयोग के संज्ञान में लाये।

(4)– विभिन्न पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित किये जाने के बाद भी परीक्षा परिणाम तैयार करते समय प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा जिन/जितने पदों व विभागों के लिए आवेदन किया गया है उन सभी

विभागों व पदों के लिए उन्हें परीक्षा परिणाम/चयन सूची में अलग–अलग सम्मिलित किया जायगा। इसके लिए आयोग विज्ञापन वार परीक्षा परिणाम निकालेगा।

(5)– प्रत्येक अभ्यर्थी को क्षैतिज उर्ध्व आरक्षण का लाभ उनके आवेदन पत्र में इंगित श्रेणी के अनुरूप ही अनुमन्य किया जायगा।

(6)– चयन सूची अंतिम किये जाने के पूर्व सभी अभ्यर्थियों से विभाग/पद के संबंध में विकल्प लिखित रूप में ई–मेल व डाक से भी प्राप्त किया जायगा (लिखित स्कैन कर ई–मेल में भेज सकते हैं) जिससे अभ्यर्थी को उसके विकल्प के अनुरूप नियुक्ति का यथासंभव अवसर मिलेगा।

(7)– समान पदों की एक ही परीक्षा कराने से अभ्यर्थियों को यह लाभ होगा कि उन्हें 4 बार परीक्षायें नहीं देनी पड़ेगी तथा इन परीक्षाओं के लिए 4 बार यात्रा व रहने आदि का व्यय नहीं करना होगा।

(8)– अभ्यर्थियों को एक लाभ यह भी हैं कि यदि परीक्षा अलग–अलग कराई जाती है तो उच्च मेरिट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रत्येक परीक्षा में ऊपर हो जाते हैं व उससे बार–बार मेरिट में सीमा पर रहने वाले अभ्यर्थी छूट जाते हैं। एक परीक्षा कराने से उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थियों को एक ही चयन का अवसर मिलेगा तथा सीमा पर रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन का अधिक अवसर मिलेगा। यह अवसर कुछ अभ्यर्थियों को अलग–अलग परीक्षा करने से प्राप्त नहीं हो सकता।

(9)– मानचित्रकार व ड्राफ्ट्समैन के पदों पर कराई गयी एक परीक्षा का एक अनुभव यह रहा है कि अलग–अलग आवेदन पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा अपना नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि में सूक्ष्म त्रुटियां या अलग–अलग परिवर्तन करने से उन्हें एक से अधिक प्रवेश पत्र जारी हो गये हैं। उल्लेखनीय है कि नाम व जन्मतिथि में एक अक्षर या स्पेस का अंतर आने से ही सॉफ्टवेयर उसे एक अलग अभ्यर्थी के रूप में स्वीकार करता हैं। एसे अभ्यर्थियों को अलग–अलग केन्द्र भी आंवटित हो जाते हैं। अतः वे अपने नजदीकी सुविधाजनक परीक्षा केन्द्र में जाकर परीक्षा दें वह डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट प्रवेश पत्र की प्रति सहित शीघ्र आयोग को **E-Mail ID-chayanayog@gmail.com** व **फैक्स** (0135–2672902) पर सूचित करें।

उपरोक्त विवरण इस आशय से भी आयोग की वेबसाइट प्रकाशित कराया जा रहा हैं कि भविष्य में आयोग द्वारा अन्य पदों के लिए भी इसी प्रकार अलग–अलग पदों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाएंगी। अतः सभी अभ्यर्थी या अन्य व्यक्ति/पक्षकार जो परीक्षाओं को एकत्र करने के संबंध में अपने सुझाव या कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हों वे आयोग को **E-Mail ID-chayanayog@gmail.com** व **फैक्स (0135–2672902)** तथा **उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाड़पुर, देहरादून, उत्तराखण्ड** पते पर अपना परामर्श या आपत्ति दे सकते हैं।

(संतोष बड़ोनी)
सचिव